

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम

नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,
भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001
सम्पक्र : 0141 - 2221694, 2221960 (टेली/फैक्स)
ई मेल-rajmdm@rediffmail.com

मध्याह्न भोजन योजना राजस्थान
Mid day Meal Scheme - Rajasthan

क्रमांक एफ.4(240)प्राशि/मिड-डे-मील/के.र.सू./पार्ट/2011/ 318

जयपुर, दिनांक:- 20/06/2017

जिला कलक्टर
जिला समस्त।

विषय:- मिड डे मील योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत रसोईघर से संबंधित नये दिशा-निर्देश।


संदर्भ:-विभाग का समसंख्यक पत्रांक क्रमांक 311-12 दिनांक 16.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संदर्भित पत्रांक के जरिये भारत सरकार से प्राप्त मिड डे मील योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्य आंशकित किये जाने के लिए 'मॉडल एमओयू' एवं संशोधित दिशा-निर्देश की प्रति भिजवाये गई थी।


इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में विभाग द्वारा जारी एवं निर्धारित एम.ओ.यू. की शर्तें (वे शर्तें, जो इस मॉडल एम.ओ.यू. में नहीं हैं) भी यथावत रहेगी।

भवदीय


(वेद सिंह)
आयुक्त

प्रतिलिपि,

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला समस्त, राजस्थान को पालनार्थ।


उपायुक्त(I&M)
मिड डे मील